बेरार टोला,

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स केशव कंस्ट्रक्शन, प्रो0–श्री धर्मराज यादव, पिता–श्री गणेश यादव, ग्राम–बेरार टोला, पोस्ट–बराह, थाना–रानीतालाब, जिला–पटना द्वारा भोजपुर सोन–31 बालू घाट, मौजा–अवगीला, अंचल–सहार, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 31.10.2023 को अपराह्न 03:00 बजे भोजपुर जिला के अंचल कार्यालय, सहार, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत्राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2374/2023, dated 21.09.2023 के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 31.10.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय सहार, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर के माध्यम से दिनांक 30.09.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में

वृक्षारोपण (460नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरानपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020)के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री राजू राम, पिता–स्व0 मंगरू राम, ग्राम–अवगीला, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को रोजगार मिलेगा या नहीं। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन होगा।
2.	श्री मोहन सिंह, पिता–स्व0 मंगल सिंह, ग्राम–अवगीला, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के श्रमिकों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिये क्या उपाय किये जायेंगे। स्थानीय लोग का बालू मुफ्त में मिलेगा या नहीं। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत् श्रमिकों के लिये First Aid Box की व्यवस्था रहेगी, जिससे श्रमिक के साथ दूर्घटना घट जाने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल किया जायेगा। तत्पश्चात् जरूरत पड़ने पर उनको एम्बुलेंस के माध्यम से नजदिक के अस्पताल में इलाज हेतु पहुँचाये जाने की व्यवस्था रहेगी। साथ–ही–साथ शिविर कैंप लगाया जायेगा जिसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य की जाँच की जायेगी। उनके लिए शेड का निर्माण किया जायेगा। पीने का पानी का व्यवस्था भी किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू मुफ्त में उपलब्ध कराने का प्रावधन नहीं है।
3.	श्री अमरजीत कुमार, पिता–श्री बैधनाथ पासवान, ग्राम–अवगीला,	इनके द्वारा परियोजना के दौरान मिलने वाली श्रमिक राशि के बारे में

	जिला–भोजपुर	जानकारी मांगी गयी। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि राज्य में लागू श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी।
4.	श्री जानशार आलम, पिता–स्व0 अब्दुल खालीद, ग्राम–अवगीला, जिला–भोजपुर	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के तहत् किसी जानवर को धक्का लग जाय और मौत हो जायेगा तो मुआवजा मिलेगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार मुआवजा देय होगा।
5.	श्री वीरेन्द्र पाल, पिता–श्री वीर बहादुर पाल, ग्राम–अवगीला, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना शुरू होना चाहिए। हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है एवं राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीये लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

1-11-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

01/11/23

निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
भोजपुर

उपस्थिति सूचि

मेसर्स केशव कंस्ट्रक्शन, प्रो0–श्री धर्मराज यादव द्वारा भोजपुर सोन–31 बालू घाट, मौजा–अवगीला, अंचल– सहार, जिला–भोजपुर में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान–अंचल कार्यालय, सहार दिनांक 31.10.2023 समय–03:00 P.M.

क्र. सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुनील कुमार पाण्डेय	निदेशक, ओ.आई.आर.ओ.ए. भोजपुर, आरा	31/10/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि०रा०प्र०नि०पर्षद, पटना	31-10-23
3.	श्यामानन्द ठाकुर	खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय भोजपुर	[illegible]
4.	आर्या मिश्रा	खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय भोजपुर	Arya 31.10.23
5.	नितिश कुमार	P&M Solution, Noida. (Env. consultant)	Nitish K.
6.	Anil Kumar	Afgila	Anil Kumar
7.	प्रमोद कुमार	अवगिला	प्रमोद कुमार
8.	अजय कुमार	अवगिला	Ajay
9.	राहुल कुमार	अवगीला	Rahul K
10	संजय कुमार	अवगीला	Sanjay K
11	बाबुल	सहार	
12	राम विरेश सिंह	खवासपुर	राम विरेश सिंह
13	विरेन्द्र पाल	अवगीला	Virendra Pal

14	दिनेश प्रसाद	[illegible]	Dinesh Prasad
15	राजू राम	आवगीला	[illegible]
16	अर्जुन चौधरी	आवगीला	Arjun Chaudhary
17	[illegible] राम	आवगीला	
18	राजू चौधरी	शंकर टोला	राजू चौधरी
19	[illegible]	आवगीला	[illegible]
20	हरमोहन राम	आवगीला	हरमोहन राम
21	मो० रेहान अली	आवगीला	[illegible]
22	सिद्धानन्द	सिद्धानन्द	[illegible]
23	करीमन चौधरी	आवगीला	करीमन चौधरी
24	रंजीत चौधरी	आवगीला	रंजीत चौधरी
25	रमेश कुमार	आवगीला	रमेश कुमार
26	[illegible]	आवगीला	[illegible]
27	उमेश [illegible]	आवगीला	उमेश [illegible]
28	मोख्तार आलम	आवगीला	मोख्तार आलम
29	अनवर अहमद	आवगीला	[illegible]
30	मु० जुबैर अली	आवगीला	मु० जुबैर
31	ज्योतिष कुमार	Indus mining, patna	Jyotish Kr
32			
33			